SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu); Mr. Vice-Chairman...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY); No, please.

PROF. MADHU DANDAVATE: We do not want to humiliate him further. *(.Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY); I am not going into it. Mr. Gopalsamy.

SHRI V. GOPALSAMY:**

SHRI JAGESH DESAI: (Maharashtra) : This should not go on record.

SHRI V. GOPALSAMY; **"

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar)** THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY); All this will not go on record.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I request Members from both sides to take their seats. Mr. Ahluwalia, please take your seat. ... *(Interruptions)* ... Dr, Pandeyji, please take your seat. *(Interruptions)* . .Mr. Gopalsamy, please take your seat.. *(Interruptions)*.. .Mr. Narayanasamy, please take your seat... *(Interruptions)*.... I request all of you to please sit down. What else do you want? please don't further complicate the situation. That is not going on record.

PROP. MADHU DANDAVATE: Mr. Vice-Chairman, Sir, we fully agree and respect your ruling as well as we agree with the Members of the Opposition because we do not want to humiliate the Leader of the Opposition further. We have respect for him. *(Interruptions)*...

**Not recorded.

SHRI V. GOPALSAMY; You have no respect for Rajya Sabha.

PROF. MADHU DANDAVATE: Rather than punishing Tewary, you have punished the Leader of the Opposition.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI M. A. BABY) : Now the matter is closed, please sit down.

CONSTITUTION (SIXTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, IMO—CONTD.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am deeply sensible of the [s] honour you Have accorded to me to speak on the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill. 1990.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, मिश्रा जी हिन्दी क्षेत्र के हैं इसलिए उनसे आग्रह करूंगा कि वह हिन्दी में बोलें।

श्री शिव प्रताप मिश्र : भाषा विचारों के माध्यम का एक स्रोत है और जो भाषा देश के करोड़ों व्यक्तियों को प्रभावित करती है जिसके बारे में डा० पाण्डेय ने कहा है उसी भाषा में बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

आज जो विधेयक आया है उससे मुझे एक आश्चर्य हो रहा है। राम विलास पासवान जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी फूटे घड़े में पानी भरा हो तो निश्चित रूप से वह जायेगा। जिस सरकार में वह बैठे हुए हैं क्या उसमें ऐसी व्यवस्था है कि यह विधेयक का कार्यक्रम लागू रह सकेगा? मैं इस सरकार को बहुत दिन पहले से देख चुका हूं। 1977 में जनता सरकार थी तब भी बेलछी में हजारों हरिजनों की नृशंस हत्या हुई तब श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां गयी थीं। आज भी मैं जानता हूं इस विधेयक का जो कार्यक्रम है, जिस प्रधान मंत्री के नेतृत्व में वह मंत्री पद

पर बैठे हुए हैं यदि उस प्रधान मंत्री के संसदीय क्षेत्र में हरिजन और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का अधिकार सुरक्षित नहीं है तो देश के तमाम देशवासियों के बीच में कैसे रह सकता है।

जहां तक इस जाति व्यवस्था का प्रश्न है वह धार्मिक कभी नहीं रहा, राजनीतिक रहा है। मैं सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले का इतिहास देखता हूं और जो हमारी संस्कृति वैदिक काल से आती है उसमें देखता हूं या तीन हजार ईसा पूर्व के पहले जिसमें कभी भी जातिवाद का नाम नहीं था उसको देखता हूं जिसमें—हिरण्यगर्भा समवर्तागरे भूतस्य जाता: पतिरेकासीत—किसी व्यक्ति का, किसी समाज की उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति का कारण हिरण्यगर्भा था, जब में उपनिषद् काल में आता हूं, जहां पर हमारा धर्म रहता है उसमें भी जाति वाद का कहीं भी उल्लेख नहीं पाता हूं। उसमें केवल ब्रह्म का उपदेश मिलता है उसमें जीव की उत्पति का आधार केवल ब्रह्म को बताया गया है। अब में गीता में महाभारत काल की संस्कृति पर आता हूं। उसमें श्री कृष्ण कहा है—

> चातुरवर्ण मयासृष्ट गुरम कर्म विभागश ॥
>
> तस्य कर्त्तारिमपि माम् विध्द्म कर्तार-मव्ययम् ॥

चार वर्णों की उत्पति तो की गई है, लेकिन यह जन्म से नहीं है, वह कर्म के आधार पर है। इसलिए श्री कृष्ण का अवतार क्षत्री वंश में होते हुए भी ऋषि लोग भी उनकी उपासना करते हैं। श्री राम विलास पासवान जी के वंश के बाल्मीकि जी को ब्रह्म ऋषि माना है क्योंकि उनकेकर्म ऋषियों के समान थे, इसलिए वे ब्रह्म ऋषि हो गये। रामायण काल में रावण आया। तुलसीदास जी ने लिखा है—उत्तम कुल पुलस्ति का नाती। रावण का वंश ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों के हो गये थे। इसलिए समाज में उसको कोई सम्मान नहीं दिया गया।

SHRI T. A. MOHAMMED SAQY, Ravana was not a Rakshasa.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: On. the basis of value and deed.... *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): I am telling you, Ravana was not a *Rakshasa.* You are misleading... *(Interruptions)* ... He was a Dravidian.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: I am telling you, Sudra was decided by Karama in Indian society which was never condemned because in the *Vedic Kal,* the emperor was Sudrak. So, I am telling you that here was no caste and creed in India. It was done only on the basis of the political manipulations by the Britishers ------------ because Lord Macaulay had first manipulated the appointment of Max Mueller in the Oxford University and h_e had asked him to propound the theory of casteism in India. On the basis of that, the theory of Divide and Rule was enunciated here to crea te quarrel among us.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Casteism was existing in India and the Britishers had utilised that.

श्री शिव प्रताप मिश्र: अब बताना चाहता हूं कि इसके राजनैतिक कारण थे। श्री राम विलास पासवान जी ने विधेयक पेश किया है। अगर हम अनुसूचित जातियों, जन जातियों का उत्थान चाहते हैं तो जिस तरह से इस सरकार ने डा० अम्बेदकर जी की प्रतिमा का सेन्टर हाल में अनावरण किया उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भूल गये कि अम्बेदकर जी का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से कांग्रेस ने ही कराया था। लेकिन यह जनता सरकार 1977 से 1980 तक सत्ता में रही, इसका आधार जातिवाद और रूढ़िवादिता ही रहा है। डा० अम्बेदकर जी को श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। हरिजनों के उत्थान के लिए राष्ट्रपिता ने और स्वरूप रानी जी ने विष्ठा की सफ़ाई का काम किया

[श्री शिव प्रताप मिश्र]

था। मैं श्री राम विलास पासवान जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या वे प्रधान मंत्री श्री वी. पी. सिंह के साथ गन्दगी की सफ़ाई करने के लिए तैयार हैं? वे जब यह विधेयक पास हो तो यह निर्णय ले। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी ने अम्बेदकर यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में की थी और अम्बेदकर जयन्ती के लिए कार्यक्रम तैयार किया था। यदि आप चाहते हैं कि इनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके और जो आपका मूल्यों पर आधारित राजनीति करने का कार्यक्रम है उसमें सफ़ाई का काम प्रधान मंत्री श्री वी० पी० सिंह और श्री मधु दण्डवते करें, उसमें हम भी साक्षी रहेंगे, धन्यवाद।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया (महाराष्ट्र): मान्यवर, इस कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मैं अपनी ओर से और शिवसेना की ओर से स्वागत करती हूं। यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने उठाया है। यह बहुत पुरानी मांग है; सर्वपक्षीय मांग है। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने इस ओर अपनी पोलिटिकल विल दिखाई है जो उन्होंने अनुसूचित जाति और जमाती के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की निर्माण का, रचना का संशोधित बिल यहां प्रस्तुत किया है। संविधान में जो कालम 338 थी, उसके माध्यम से स्पेशल आफ़िसर की नियुक्ति की गई थी, उसकी कल्पना थी। इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के आविष्कार की बात नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लाई है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी।

महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती कि इस आयोग के कौन-कौन से सदस्य हों। वे दो मेंबर हो, तीन मेंबर हों, या पांच मेंबर हो या सात हों, किन जातियों के हों या किन प्रांतों के हों। लेकिन मैं इस बात के लिये जरूर चिंतित हूं और इस बात की मुझे फ़िक्र है कि यह आयोग किस प्रकार से काम करता है। क्या यह अनुसूचित जाति और जमाती, जो उनका सदियों से पिछड़ापन है, उनको दूर करने की क्षमता हासिल करता है? आज जो अत्याचार और दमन उनके ऊपर किये जाते हैं तो उन अत्याचारों और दमन को कम करने या खत्म करने की वह बात करे। इस संविधान संशोधन के मार्फ़त राष्ट्रीय आयोग को जो अधिकार दिये गये हैं उसकी तरफ़ मैं सम्माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। क्योंकि जो स्पेशल आफ़िसर को पावर दी गई थी वे बहुत ही सीमित थे, बहुत ही सीमित अधिकार थे। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय आयोग का सवाल है, बहुत ही ज्यादा आपने उनको अधिकार दिये हैं, उनके कर्तव्य बढ़ा दिये हैं, उनके फ़र्ज बढ़ा दिये हैं। पहले तो जो सेफ़गार्ड हैं उनके बारे में तलाश करें। इतना ही नहीं खासतौर पर अगर कोई शिकायत आयेगी तो उन बारे में तलाश करने का हक राष्ट्रीय आयोग को दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि न सिर्फ़ आपने राजकीय अधिकारों के बारे में ध्यान लगाया लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बात है वह बात आपने एक क्लाज में कह दी है। जहां तक प्लानिंग प्रोसेस का सवाल है, राष्ट्रीय आयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये सहयोगी बनेगा, भागीदार बनेगा। मैं समझती हूं कि यह आपने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है कि जो नेशनल कमीशन है उसके साथ विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि आपने कहा कि सातवें आयोग को आपने दांत दिये हैं। लेकिन मुझे कोई दांत अभी नजर नहीं आते, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि आप ज्यादा सत्ता राष्ट्रीय आयोग को दें ताकि जो कुछ आपने कहा है, संविधान में संशोधन के माध्यम से वह बात अमल में आ सके।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि इसमें आपने परिवर्तन सुझाया है और वह यह है कि स्पेशल आफ़िसर को आपने जो सत्ता दी है, सेफ़ गार्ड के बारे में, तो वहां पर

न सिर्फ संविधान के सेफ़गार्ड की बात है बल्कि जो मसौदा आप लाये हैं आपने उसमें यह कहा है कि कानून के माध्यम से सेफ़गार्ड किये गये हैं लेकिन जो आर्डर रहे हैं, सरकार के जो आदेश रहे हैं, उनके माध्यम से जो सेफ़गार्ड हैं उनका भी प्रोटेक्शन, उनको भी संरक्षण क्या यह आयोग करेगा? माननीय मंत्री जी से मैं स्पष्टतया यह जानकारी हासिल चाहूंगी कि वह कौन से सेफ़गार्ड्स की बात आप कर रहे हैं जब कि आदेश और कानून की बात करते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है कांस्टिट्यूएंट असेंबली में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने यह बात कही है कि संविधान के जो सेफ़गार्ड्स हैं, वे पोलिटिकल सेफ़गार्ड हैं। वहां पर कांस्टिट्यूशनल राइट्स की बात नहीं कर सकते हैं। तो मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर वे जरूर स्पष्टीकरण दें।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगी कि जब तक हम सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाते हैं, जब तक हम अनुसूचित जाति और जमाति इंसानों को इंसान की हैसियत से जीने का मौका नहीं देते हैं, उन्हें स्वाभिमान से जीने का हम मौका नहीं देते हैं, उन्हें अपने बलबूते पर खड़े होने का अधिकार नहीं देते हैं तब तक यह बात कागजी रहेगी।

मान्यवर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

SHRI G. G. SWELL; I would like just to put one question to the Minister. You are replacing an Officer known as the Special Officer or the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes who used to run from pillar to post and was often cold-shouldered by State Governments and by departments, especially efrant State Governments and De-irtments, by a Committee or a Com-ussion to be headed by a Chairman whom you are giving a Cabinet Iinister's .status. To that extent, the I position is an improvement. You are also giving this Commission the power of a Civii Court with the power to summon people, witnesses documents and other things. You are making it incumbent on the State Governments to consult this Commission in all matters relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for their socio-economic improvement. And for that, I congratulate you. But the fact remains that the Commission wi'I concern itself mostly with investigatory and recommendatory work, only with investigation and recommendation. I would like you to consider whether you would not put something in this Bill to give these recommendations of the Commission, some kind of the force of an injunction, mandatory or injunctionary, it is for you to decide. Otherwise there might be an upgradation. as far as the status is concerned, but there will be no improvmeent on the ground. There are so many other things which I would like to say but since the time is short, I would like to cooperate with the House. That is all. This is the question I want to put before you. Thank you.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): As pointed out by the Member, I wish to submit, in supporting the Bill, a few legal issues that might be considered by the hon. Minister. Sir you have stated in the Bill that there will be a Chairman, Vice-Chairman and other Members of the Commission who shall be appointed by the President by warrant. What are the qualifications? The qualifications of Members, the qualifications of Vice-Chairman and the qualifications of Chairman have not been mentioned therein and therefore, I wish to bring it to the notice of the hon. Miinster.

The second point is, clause 4 says that the Commission shall have the power to regulate its own procedure.

Undefined procedure, undefined powers will not lead to any conclusion at all and the Commission has

[Shri Tindivanam G. Venkatraman]

to conclude and it has also to decide about powers. To give powers to decide about the procedure by itself will not serve the purpose for which £his Act is enacted.

The third point is this. You are investing it with the powers to investigate, to summon witnesses and to summon documents etc. In that event, you are also investing it with the powers of a Civil Court. In that case, you can constitute this as a Court of Justice for that particular end. If the other party goes to the Civil court and gets an injunction over this party, namely, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commission, there will be parallel justice. Whether this Commission's recommendation has to be taken into consideration or the Court's decision has to be taken into consideration is a thing to be decided and by investing the powers of a Civil Court, you may as well make it a Court of Judgement.

Court means also investigation, document and evidence, then why not invest the powers of judgement also? And simply taking the statement and other things and simply by taking and collecting everything, and sending it to the President means it is nothing but sending a person or group of persons sending a petition to the President of India. Therefore, all these points must be considered. These are all legal issues which may be taken into consideration by the hon. Minister and with this, I conclude my speech.

4.00 P.M.

ANNOUNCEMENT BY DEPUTY CHAIRMAN REGARDING REPRIMAND TO SHRI K. K. TEWARY—CONTD.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Honourable Members, I have been informed by the Secretary-General that the office has not been able to serve the summons on Mr. K. K. Tewary to appear at 4 o'clock today due to his absence from his residence. It was the only available address with us.

Now, I leave it to the House to decide as it pleases.

(Interruptions)

SOME HON. MEMBERS; Arrest warrant should be issued... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I cannot hear anything at all because everybody is speaking... *(Interruptions)* ... Yes, Mr. Jaipal Reddy... *(Interruptions)*... Just a minute... *(Interruptions)*

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : वह जान-बूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसलिए अरेस्ट के लिए वारंट इशु किया जाए ।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : अगर वह अंडरग्राउंड हो गये हैं, तो क्या इस सरकार का खुफिया विभाग उनको खोज नहीं सकता है ? अगर खोज नहीं सकता है, तो यह इस सरकार के लिए शर्म की बात है ।

यदि वह अंडरग्राउंड हैं, तो पता लगायें और यदि अंडरग्राउंड नहीं हैं, कोर्ट में हैं, तो उनको गिरफ्तार करके सदन में लाया जाए ।

सदन की कार्यवाही बारह बजे तक चलाई जाए, लेकिन आज सदन में के०के० तिवारी को लाया जाए और आज उनको सजा सुनाई जाए ।

SHRI VIREN J. SHAW (Maharashtra); Madam, the House is entitled to issue a warrant of arrest because this is a deliberate contempt of the House, a continuous contempt of the House... *(Interruptions)* ...

SHRI M. *A.* BABY (Kerala): This is further contempt of the House. (Interruptions)

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Madam, the charge against Mr. K. K. Tewary was contempt of the House and there was a unanimous